

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1947  
06 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

कौशल विकास एजेंसी के रूप में सीमा सङ्गठन

1947. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि सीमा सङ्गठन (बीआरओ) को देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कौशल विकास एजेंसी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उसे सीमाओं के पास शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों सहित जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुशल जनशक्ति सृजित करने का काम सौंपा जाना चाहिए;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल किए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): जी, नहीं। इस समय मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): सीमा सङ्गठन (बीआरओ) का अधिदेश शांतिकाल के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में संक्रियात्मक सङ्गठन अवसंरचना का विकास और रखरखाव करना है। यह सीमावर्ती राज्यों के

सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। युद्ध के दौरान, बीआरओ की भूमिका मूल तैनाती/पुनः तैनाती वाले क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सड़कों का विकास और रखरखाव करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य घटकों सहित सीमाओं के निकट के लोगों के जनजीवन में सुधार करने के लिए कुशल जनशक्ति का सृजन करना न ही बीआरओ की विशेषज्ञता का क्षेत्र है और न ही उनके पास ऐसी जनशक्ति है जो इन उद्देश्यों को पूरा कर सकें।

\*\*\*\*\*